

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर
पत्रांक: सा 0-1454/मी 0/33/ दिनांक: मीरजापुर: सितम्बर 9, 2015
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी
उत्तर प्रदेश लखनऊ

विषय:- इण्डियन आयल कारपोरेशन लि० द्वारा लुम्बिनी-दुहरी मार्ग
। एस०एच०-5 । के कि०मी० सं० 355 के किनारे दायाँ पट्टी
में ग्राम घौड़ा, तहसील-मडिहान जिला-मीरजापुर के आ०सं०
495 में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट में प्रवेश एवं विकास मार्ग
हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत अनुमति प्रस्ताव ।

संदर्भ:- प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर का पत्र संख्या 1017/मी०/
15 दिनांक 16.07.2015

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर ने अपने कार्यालय के उपरोक्त
संदर्भित पत्र द्वारा इण्डियन आयल कारपोरेशन लि० द्वारा लुम्बिनी-दुहरी मार्ग
।एस०एच०-5। के कि०मी० सं० 355 के किनारे दायाँ पट्टी में ग्राम घौड़ा
तहसील-मडिहान जिला-मीरजापुर के आ०सं० 495 में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट
में प्रवेश एवं विकास मार्ग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत अनुमति
प्रस्ताव ऑन लाइन सबमिशन की प्रती एवं प्रस्ताव तीन प्रतियों में इस
कार्यालय को प्रेषित किया गया है । अतः प्रश्नगत प्रस्ताव की इस स्तर से
ऑन लाइन सबमिशन कर दो प्रतियों में एतदसह संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही
हेतु प्रेषित है ।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

भवदीय

। के०एम०ठाकुर ।

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर

संख्या _____/अ/समदिनांक ।
= = = = =

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर को उनके संदर्भित
पत्र के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत मामले में किसी भी दशा में
वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न होने पावे ।

। के०एम०ठाकुर ।
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर